

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर जिला अलवर(राज.)

दावा संख्या  
313/11

पीठारीन अधिकारी:-साधूराम जाट, आर.ए.एस.  
दायरा दिनांक  
30.12.2011  
निर्णय दिनांक  
04.02.2019

- 1 रामचन्द्र पुत्र तुलसीराम - नाम हजफ
- 2 रामसिंह पुत्र तुलसीराम जातियान अहीर निवासीयान खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।
- 3 धर्मवीर पुत्र रामचन्द्र जाति अहीर निवासी खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

बनाम

- 1 हेतराम
- 2 चिरंजी पुत्रान डूंगरसिंह
- 3 सरजीत
- 4 चन्द्रप्रकाश
- 5 धैर्येशील पुत्रान मनोहरलाल
- 6 सरलादेवी बेवा मनोहरलाल
- 7 बालकिशन पुत्र बलदेव
- 8 रमेश पुत्र काशीराम पौत्र हरिनारायण
- 9 प्रकाश
- 10 यशवंत पुत्रान राजाराम
- 11 चन्द्रावली बेवा राजाराम
- 12 बनवारी
- 13 तेजराम
- 14 रामशरण पुत्रान काशीराम पौत्र हरिनारायण
- 15 देवव्रत पुत्र रामसेवक
- 16 लाली बेवा रामसेवक
- 17 विजयसिंह
- 18 सुरेन्द्र पुत्रान चिरंजीलाल
- 19 संजयकुमार पुत्र लालसिंह
- 20 रतनलाल पुत्र छोटूराम
- 21 प्रभूदयाल पुत्र मैदाराम
- 22 फूल बेवा सुमेरसिंह
- 23 संदीप पुत्र सुमेरसिंह पौत्र बेगराज
- 24 अजीत
- 25 धर्मपाल पुत्रान बेगराज
- 26 जयसिंह पुत्र मुरली
- 27 दयाराम
- 28 दुलीचन्द
- 29 कंवरसिंह पुत्रान श्योनारायण
- 30 उमराम
- 31 बहोतराम पुत्रान हरलाल
- 32 महावीर पुत्र हरफूल

उपखण्ड अधिकारी  
मुण्डावर (अलवर) राज0

- 33 रामोतार पुत्र बिहारीलाल
- 34 उमेश पुत्र अजीत
- 35 मोहरसिंह पुत्र बोदन
- 36 रूपेश
- 37 राजसिंह उर्फ राकेश पुत्रान सम्पत
- 38 पार्वती बेवा सम्पत
- 39 भूपसिंह
- 40 अतरसिंह पुत्रान शिवलाल
- 41 सरबती पुत्री शिवलाल
- 42 बलवन्त
- 43 विजय
- 44 उत्तम पुत्रान सरताप
- 45 उर्मिला
- 46 सन्तोष
- 47 कविता
- 48 अंगूरी पुत्रीयान सरताप
- 49 खुशीराम पुत्र लीलाराम
- 50 सन्दीप
- 51 अजयकुमार पुत्रान प्रथ्वीसिंह
- 52 रामरती बेवा प्रथ्वीसिंह
- 53 हरिराम
- 54 प्रहलाद पुत्रान श्योदयाल
- 55 रामसिंह
- 56 सरजीत
- 57 नरसी उर्फ नरेश पुत्रान सांवलराम पौत्रान श्योदयाल
- 58 शान्ती बेवा सांवलराम पौत्रवधु श्योदयाल
- 59 सन्तरा देवी बेवा रंगराव
- 60 पांची पुत्री जयनारायण जातियान अहीरान निवासीयान खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।
- 61 राज0 सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, मुण्डावर जिला अलवर, राज0।
- 62 उप पंजीयक, मुण्डावर जिला अलवर, राज0।


— प्रतिवादीगण

दावा— अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज0 काश्त0 अधि0

—अन्तिम पर्चा डिकी—

वादीगण की ओर से श्री हंसराज यादव एडवोकेट की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 04.02.2019 को साधूराम जाट उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकी दी जाती है कि—

हाल आराजी खसरा नंबर 1167/0.19, 1168/0.48, 1169/0.39, 1170/0.57, 1171/0.57, 1172/0.57, 1173/0.57, 1174/0.57, 1175/0.38, 1177/0.57, 448/0.09, 449/0.08, 450/0.07, 451/0.09, 452/0.08, 453/0.07, 989/0.06, 990/0.06, 991/0.06, 992/0.06, 993/0.07, 994/0.06, 1076/0.14, 1176/0.19, 1178/0.57, 1179/0.27 हैक्टेयर वाके ग्राम खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर के बाबत का वादीगण का वाद अन्तिम डिकी किया जाता है एवं मुताबिक तहसीलदार मुण्डावर द्वारा प्रस्तुत जरिये पत्रांक 163 दिनांक 10.01.2019 कुर्रजात प्रस्ताव पक्षकारान के खातेजात कायम किये जावे। कुर्रजात प्रस्ताव प्रदर्श— अ अन्तिम निर्णय एवं अन्तिम


  
उपखण्ड अधिकारी  
मुण्डावर (अलवर) राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर  
राजस्व वाद संख्या:-313/11  
रामचन्द्र बनाम हेतराम  
निर्णय दिनांक -04.02.2019

पर्चा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन की स्थिति में ऋण राशि पक्षकारान को मिलने वाले हिस्से, आराजी, रकबे से वसूलनीय रहेगी।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

आज दिनांक 04.02.2019 को लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

  
(साधू राम जाट) 04/2/19  
उपखण्ड अधिकारी एवं मुद्रा अधिकारी  
पदेन सहायक मुण्डावर, मुण्डावर अज०